

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 04 अक्टूबर, 2012

विषय-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यों का सोशल आडिट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत तथा कन्वर्जेन्स विभाग (लाइन विभाग) द्वारा किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट) किए जाने हेतु शासनादेश संख्या-1390/अड़तीस-7-2012-200नरेगा/2009, दिनांक 04.07.2012 द्वारा "उत्तर प्रदेश (मनरेगा) सोशल ऑडिट संगठन" की स्थापना एक स्वतंत्र इकाई(सोसायटी) के रूप में की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत "महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम-2011" (नियमावली) के प्राविधानों के अनुसार सोसाइटी द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों की सोशल आडिट प्रक्रिया को प्रभावी एवं सशक्त बनाया जायेगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त नियमावली एवं समय-समय पर उनके द्वारा जारी निर्देशों तथा प्राप्त सुझावों पर विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आडिट)/निगरानी समीक्षा की व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-3124/38-7-2009-200/एनआरईजीए/09, दिनांक: 14-10-09 को अवकमित करते हुए सोशल आडिट हेतु जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

(क) जनपद स्तर पर व्यवस्था:-

जनपद स्तर पर एक जिला समन्वयक (सोशल कोऑर्डिनेटर) की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(1) शैक्षिक अर्हता/अनुभव

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(ख) जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

(ग) ग्राम पंचायत सोशल आडिट टीम के ऐसे सदस्य, जिनके द्वारा कम से कम तीन सोशल आडिट सम्पादित की गयी हों, को भी जिला समन्वयक चयनित किया जा सकता है।

(घ) नियुक्ति हेतु सम्बन्धित जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(2) आरक्षण जिला समन्वयक उसी श्रेणी का होगा, जिस श्रेणी का जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आरक्षित है।

(3) चयन समिति

- | | |
|--|------------|
| 1- जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- मण्डलायुक्त द्वारा नामित किसी महाविद्यालय/
विश्वविद्यालय/किसी प्रतिष्ठित संस्था
का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3- मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य-सचिव |

(4) चयन प्रक्रिया

चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 15 दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर चयन किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के एक माह के अंदर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे।

(5) कर्तव्य एवं दायित्व

- (1) जनपद के ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट हेतु प्रस्तावित वार्षिक कैलेण्डर जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से निदेशक, सोशल आडिट को समय से उपलब्ध कराना।
- (2) जनपद के विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट कार्मिकों को प्रशिक्षित करना एवं जनपद में सोशल आडिट टीम को मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करना।
- (3) सोशल आडिट सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु जिला समन्वयक के निर्देशन में वांछित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करना।
- (4) सोशल आडिट कार्यवाहियों में इंगित महत्वपूर्ण कमियों, सुझावों, हानि तथा वित्तीय अनियमितता, धन के दुर्विनियोग, दुरुपयोग, व्यपहरण के प्रकरणों को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाना तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- (5) सोशल आडिट मानीटरिंग हेतु निर्धारित प्रारूपों पर सूचना का प्रेषण।
- (6) जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्दिष्ट किये गये अन्य कार्य।

(6) मानदेय तथा यात्रा भत्ता

जिला समन्वयक को प्रतिमाह रू0 12000/- मानदेय तथा रू0 3000/- नियत यात्रा भत्ता देय होगा।

(ख) विकास खण्ड स्तर पर व्यवस्था

विकास खण्ड स्तर पर एक ब्लाक समन्वयक (सोशल कोऑर्डिनेटर) की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(1)- शैक्षिक अर्हता/अनुभव

1. न्यूनतम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
2. जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा

संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो। चयन हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।

(2)– आरक्षण

ब्लाक समन्वयक उसी श्रेणी का होगा, जिस श्रेणी का ब्लाक प्रमुख का पद आरक्षित है।

(3)– चयन समिति एवं चयन प्रक्रिया:–

ब्लाक समन्वयक के पद हेतु चयन समिति का गठन तथा चयन की वही प्रक्रिया होगी जो जिला समन्वयक पद हेतु निर्धारित है।

(4)– कर्तव्य एवं दायित्व

- (1) विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कैलेंडर के अनुसार सम्पन्न कराना।
- (2) सोशल आडिट के लिए अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित कराना एवं सहयोग प्रदान करना।
- (3) सोशल आडिट समिति, जो ग्राम पंचायत स्तर पर गठित है, के सदस्यों को सोशल आडिट के सत्यापन प्रक्रिया में मार्ग दर्शन करना।
- (4) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्दिष्ट अन्य कार्य।

(5) मानदेय तथा यात्रा भत्ता

ब्लाक समन्वयक को रू0 8000 /– मानदेय तथा रू0 2000 /– नियत यात्रा भत्ता देय होगा।

(3)– ग्राम पंचायत स्तरीय व्यवस्था:–

(क)– सोशल आडिट टीम का गठन:–

ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पांच सदस्यीय सोशल आडिट टीम गठित की जाएगी, जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 2014 तक होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत में पूर्व में सोशल आडिट टीम गठित है तो तात्कालिक प्रभाव से विघटित मानी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित की जाने वाली सोशल आडिट टीम में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगे:–

श्रेणी	संख्या
(1.) सामान्य	एक
(2.) अन्य पिछड़ा वर्ग	एक
(3.) अनुसूचित जाति/जनजाति	एक
(4.) महिला	एक
(5.) श्रमिक	एक(जॉब कार्ड धारक जिसके द्वारा मनरेगान्तर्गत एक वर्ष में कम से कम 15 दिन का कार्य किया गया हो)

(ख) शैक्षिक अर्हता:–

सदस्य के रूप में चयन हेतु न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण होगी। श्रमिक के सदस्य के रूप में चयन हेतु शैक्षिक अर्हता का प्रतिबन्ध नहीं होगा। अन्य सदस्यों हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में चयन समिति शैक्षिक अर्हता को शिथिल कर सकती है।

ग्राम पंचायत स्तरीय समिति के सदस्य उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे, वरन् सम्बन्धित न्याय पंचायत की अन्य ग्राम पंचायत के निवासी होंगे।

(ग) चयन समिति:—

- | | |
|--|------------|
| (i) जिलाधिकारी द्वारा नामित
जनपद स्तरीय अधिकारी | अध्यक्ष |
| (ii) जिलाधिकारी द्वारा नामित
किसी कालेज/प्रतिष्ठित शैक्षिक
संस्था का प्रतिनिधि | सदस्य |
| (iii) खण्ड विकास अधिकारी | सदस्य-सचिव |

(ड.) चयन प्रक्रिया

चयन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर 15 दिन के भीतर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि के एक माह के अंदर चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।

(च) कर्तव्य एवं दायित्व

निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराए गए कार्यों का सोशल आडिट सम्पादित करना जिसमें निम्नांकित सत्यापन किया जाना सम्मिलित है:—

- (1) मस्टर रोल की प्रविष्टियों एवं एक निर्धारित समयावधि में किए गए भुगतानों का मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिनका नाम मस्टर रोल में सम्मिलित हो, से सम्पर्क करके सत्यापन कराना।
- (2) मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का स्थल पर सत्यापन करते हुए अभिलेखों के आधार पर मात्रा एवं कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करना।
- (3) रोकड़बही, बैंक विवरण, बिलों, वाउचरों एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण कर वित्तीय सूचना प्रेषण की शुद्धता का सत्यापन करना।
- (4) सामग्री क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होने की पुष्टि हेतु सभी इनवॉयस, बिल वाउचर्स या अन्य संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन करना।
- (5) मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त निधियों में से कार्यकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अन्य भुगतानों का सत्यापन करना।

यदि निर्दिष्ट ग्राम पंचायत में मनरेगा के अन्तर्गत कराए गए कार्य बहुत कम हों तो किसी अन्य ग्राम पंचायत के मनरेगा कार्यों का सोशल आडिट भी सम्बन्धित एक ही टीम को सौंपा जा सकता है।


(छ) मानदेय

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति के प्रत्येक सदस्य को सोशल आडिट सम्पन्न कराने के लिये रू0 1,000/- प्रतिवर्ष मानदेय देय होगा।

4- जिला समन्वयक तथा ब्लाक समन्वयक के सदस्यों की जो नियुक्तियाँ शासनादेश दिनांक: 14-10-2009 द्वारा की गयी है, पुनरोद्घाटित नहीं की जायेगी परन्तु जिला समन्वयक तथा ब्लाक समन्वयक के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ शासनादेश संख्या:- 1390/अड़तीस- 7-2012-200 नरेगा/2009, दिनांक 04.07.2012 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए की जाएंगी।

5- सोशल आडिट की प्रगति समीक्षा प्रत्येक माह शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड स्तर पर नियमित रूप से मासिक समीक्षा की जाएगी।


कृपया तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 2245 (1)/अड़तीस-7-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1.) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- (2.) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3.) निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
- (4.) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5.) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
- (6.) समस्त परियोजना निदेशक/संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
- (7.) वेब मास्टर, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8.) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

04/10/12
(मिरजा शंकर त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।